न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-24RAAJodhpur2022-14RTA225 Bagduram ors Vs Harmanram etc

01. बगडूराम पुत्र हरजीराम
02. भाकरराम पुत्र हरजीराम
03. रतनाराम पुत्र हरजीराम
04. हरिकिशन पुत्र हरजीराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण- फतेहसागर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. हड़मानराम पुत्र श्री अखमलराम
02. रेशमाराम पुत्र खानूराम
03. सुखराम पुत्र खानूराम
04. माणकराम पुत्र खानूराम
05. फुसाराम पुत्र अखमलराम
06. भंवरलाल पुत्र भोजाराम
07. मांगीलाल पुत्र सहीराम
08. जयप्रकाश पुत्र सहीराम
09. श्रवणराम पुत्र रेशमाराम
10. बगडूराम पुत्र खानूराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- बगड़ावतनगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।
12. शैली पत्नी श्री मनोहरराम, जाति विश्नोई, निवासी- फतेहसागर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
13. गैरो पुत्री श्री मनोहरराम, पत्नी गोपीलाल जाणी, जाति विश्नोई, निवासी- खारा तहसील फलोदी,
14. नेमा पुत्री स्व. श्री मनोहरराम पत्नी श्री माणकराम जांगू जाति विश्नोई, निवासी- सदरी, तहसील लोहावट।

23.2.24

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 जनवरी 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 बगडूराम व अन्य बनाम हड़मानराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक से दस
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 23 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 अनवान बगडूराम व अन्य बनाम हड़मानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1129 ग्राम पीलवा वर्तमान ग्राम फतेहसागर तहसील लोहावट के संबंध में बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11 नवंबर 2021 के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रुप से स्वीकार कर लिया, किंतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जनवरी 2022 के जरिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। 23.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विवादित भूमि के अपीलार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण के मकान बने हुए है। वर्तमान में सोनामुखी की फसल खड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के खसरा नं. 1129 के सड़क के दूसरी तरफ खसरा नं. 1946 होने एवं खसरा नं. 1946/1 पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होना मानने में भारी विधिक भूल की की गयी है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ इसी भूमि का खसरा नं. 1131 अपीलार्थीगण का आया हुआ है, उसकी सीध में ही छुटा हुआ रकबा ए.बी.सी. भाग आया हुआ है, जिस पर अपीलार्थीगण का पीढियों से कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण का उस पर निर्माण एवं सोनामुखी की फसल की हुई है। खसरा नं. 1946/1 के उद्गम वाला नामांतरकरण संख्या 7 ग्राम बगड़ावतनगर दिनांक 26.08.2000 को एवं उसकी पुश्त पर दर्ज नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि खसरा नं. 1146/1 समर्पित स्थल ए.बी.सी. भाग से अलग है, जिसका रकबा 1 बीघा है, को प्रत्यर्थी संख्या एक से दस ने सार्वजनिक उपयोग के लिये राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किया है, उक्त तथ्य की प्रत्यर्थी संख्या एक से दस को जानकारी होते हुए भी उन्होने सही तथ्य विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया तथा मामले को गुमराह करने वाले तथ्य प्रस्तुत किये। उक्त नामांतरकरण की पुश्त पर दर्ज नक्शे से स्पष्ट है कि खसरा नं. 1946/1 व वाद के सलंग्न नजरिये नक्शे के ए.बी.सी. भाग दोनो अलग-अलग है तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नं. 1946/1 गलत दर्शित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण पक्ष में है। प्रत्यर्थी संख्या एक से दस अपीलाधीन आदेश की आड़ में विवादित भूमि पर से

23-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकिया दे रहे है। यदि वे अपने उद्धेश्य में सफल हो गये तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जनवरी 2022 को निरस्त किया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स ने खसरा नं. 1946/1 में अनुतोष चाहा है, जबकि खसरा नं. 1946/1 राजकीय भूमि है तथा मूल खसरा नं. 1946 का भाग है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में तहसीलदार को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कानूनन समर्पित भूमि की खातेदारी अपीलांट्स को नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक खसरा नं. 1129 एवं 1946 वक्त

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सेटलमेंट से पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध खसरे है तथा दोनो खसरों के बीच में रास्ता मौजूद है जो दोनो खसरों को विभाजित करता है। अद्यतन राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स द्वारा क्लेम किया गया खसरा नं. 1946/1 का हिस्सा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 04.09.2000 की पुश्त पर अंकित तरमीम एवं नक्शा ट्रेस मौजा फतेसागर पी-35 क्रमांक 88 दिनांक 09.01.2002 में समर्पित भूमि खसरा नं. 1946/1 की तरमीम वर्तमान ऑनलाईन तरमीम से भिन्न है। अपीलांट्स द्वारा वर्तमान खसरा नं. 1946/1 की गलत तरमीम होना एवं उक्त खसरा की भूमि के स्थान पर अपनी भूमि खसरा नं. 1129 का छूटा हुआ भाग होना क्लेम किया है, किंतु उक्त तथ्य विचारण न्यायालय मे विचाराधीन मूल दावे में जरिये साक्ष्य तय होंगे। वर्तमान में खसरा नं. 1946/1 राज्य सरकार के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि के संबंध में गैर खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 अनवान बगडूराम व अन्य बनाम हड़मानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर